

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही के ऑनलाइन क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश

1. **ऑनलाइन प्लेटफार्म** - आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर ऑनलाइन चयन प्रक्रिया की समस्त कार्यवाही www.wecduk.in पोर्टल पर की जाएगी। उक्त पोर्टल पर परियोजना, जनपद एवं निदेशालय स्तरीय लॉग-इन आई०डी० एवं पासवर्ड समस्त संबंधित कार्यालयों को पूर्व से ही उपलब्ध करवाये गये हैं। अपलोड किए गए डेटा की सुरक्षा के दृष्टिगत संबंधित स्तर से समय-समय पर पासवर्ड बदला जाना अत्यावश्यक है।
2. **रिक्त पदों की सूचना का संकलन एवं विज्ञप्ति प्रकाशन** - www.wecduk.in पोर्टल के CDPO स्तरीय लॉग-इन आई०डी० के अन्तर्गत परियोजना से प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र की सूचना अपलोड की गई है जिसके माध्यम से प्रत्येक माह आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बनाया जाता है। परियोजना स्तर पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के सापेक्ष दिये गये प्रत्येक फील्ड यथा आंगनवाड़ी केंद्र का नाम एवं कोड, रिक्त पद का नाम, राजस्व ग्राम/वार्ड का नाम, आरक्षण, कार्यकर्त्री एवं सहायिका की जन्म तिथि एवं योगदान तिथि इत्यादि के अन्तर्गत सूचना अपलोड की गई हो एवं सही सूचना अपलोड की गई हो। मानदेय के संबंध में भरी गई सूचना के आधार पर रिक्त पदों का स्वतः (automated) निर्धारण पोर्टल पर होगा। रिक्त पदों के उक्तानुसार निर्धारण में आगामी छः माह में रिक्त होने वाले पद भी सम्मिलित होंगे। इस हेतु यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के जन्म की तिथि के संबंध में भरी गई सूचना पूर्णतः सही हो। रिक्त पदों की यह सूचना जनपद स्तर के लॉग-इन आई०डी० पर भी परिलक्षित होगी तथा जिसके सापेक्ष प्रत्येक वर्ष दिसंबर एवं जनवरी में विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी। विज्ञप्ति प्रकाशन से पूर्व संबंधित रिक्त पदों के संबंध में भरी गई सूचनाओं में संशोधन संबंधित परियोजना स्तर एवं जनपद स्तर द्वारा स्वयं किया जा सकेगा किंतु विज्ञप्ति प्रकाशन के बाद विज्ञापित रिक्त पदों से संबंधित किसी भी सूचना में संशोधन हेतु स्पष्टीकरण देते हुए पत्र निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा जिसके बाद ही विज्ञापित पद में संशोधन संभव हो सकेगा।
3. **अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन** - अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर स्वयं के मोबाइल नंबर से OTP आधारित पंजीकरण किया जाएगा तथा अपने जनपद, परियोजना/ब्लॉक तथा राजस्व ग्राम का चयन करते हुए आवेदन के समस्त चरणों को पूर्ण किया जाएगा। आवेदन हेतु

निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदनकर्ता अपने आवेदन में भरी गई सूचनाओं को आवश्यकतानुसार सुधार सकते हैं। इस संबंध में फाइनल सबमिट किए गए आवेदनों में भी सुधार हेतु संशोधन का प्राविधान उपलब्ध होगा। किंतु सुधार हेतु कोई भी संशोधन अभ्यर्थी द्वारा अपने पंजीकृत लॉग-इन आई०डी० से स्वयं ही किया जाएगा एवं इस हेतु विभाग को प्रेषित किसी भी प्रकार के पत्राचार को संबोधित नहीं किया जा सकेगा। आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन अथवा आवेदन में भरी गई सूचनाओं में संशोधन किसी भी दशा में नहीं किया जा सकेगा। वे सभी आवेदन जो आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक (final submit बटन पर क्लिक करते हुए) अंतिम रूप से जमा कर दिये गये हैं अथवा आवेदन के सभी चरणों (अभिलेख अपलोड करने तक) को पूर्ण कर चुके हैं उन सभी को आवेदन हेतु अंतिम रूप से प्राप्त आवेदनों के रूप में मान्य किया जाएगा।

4. **आवेदन पत्रों का अवलोकन** - आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम दिन के पश्चात, आवेदन अवधि में प्राप्त अभिलेख www.wecduk.in पर CDPO लॉग-इन के अन्तर्गत OTP आधारित वेरिफिकेशन के द्वारा अवलोकित किए जा सकते हैं। इस हेतु संबंधित परियोजना में चयन हेतु उत्तरदायी बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी का फ़ोन नंबर मैप किया गया है, जिसे संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है। परियोजना से संबंधित उक्त नंबर को जनपद स्तरीय लॉग-इन से तथा जनपद स्तरीय फ़ोन नंबर को निदेशालय स्तरीय लॉग-इन से परिवर्तित किया जा सकेगा। पोर्टल पर सहायिका एवं कार्यकर्त्रियों के रिक्त पदों के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों की आंगनवाड़ी केंद्र-वार सूची अलग-अलग प्रदर्शित की जाएगी। प्रत्येक केंद्र के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की सूची, आवेदनकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन भरी गई सूचना के आधार पर, चयन हेतु वरीयता के घटते क्रम में प्रदर्शित होगी ।
5. **आवेदन पत्रों का परीक्षण** - अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई जानकारी में त्रुटियों की प्रबल संभावना के दृष्टिगत उक्त सूची के प्रत्येक आवेदन पत्र एवं अपलोड किए गए संबंधित अभिलेखों का परीक्षण चयन समिति द्वारा निम्न क्रम में किया जाएगा -
 - 5.1 **कुल रिक्तियों की सूची** wecduk.in पोर्टल पर CDPO लॉगिन के अन्तर्गत OTP आधारित वेरिफिकेशन द्वारा परियोजना अन्तर्गत विज्ञापित समस्त पदों के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों की सूची प्रदर्शित की गई है। सूची में विज्ञापित पद के सापेक्ष हुए कुल पंजीकरण, अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन तथा जाँचे गये आवेदनों की सूची प्रदर्शित की गई है। उक्त सूची में किसी भी केंद्र के सापेक्ष 'फॉर्म देखें' पर क्लिक कर के उस केंद्र में कुल प्राप्त आवेदनों की सूची प्रदर्शित की गई है।
 - 5.2 **कुल प्राप्त आवेदनों की सूची** में विज्ञापित पद के सापेक्ष आवेदनकर्ता की अर्हता की जाँच की जाएगी। इस चरण में आवेदनकर्ता के निवास, आरक्षण, आयु तथा शैक्षिक अर्हता का

परीक्षण के दौरान प्रत्येक आवेदन में चयन को प्रभावित करने वाली प्रत्येक सूचना एवं संबंधित अभिलेख का परीक्षण कर (क) सूचना के सही होने पर हरे बटन का चयन किया जायेगा। (ख) सूचना के पुनर्परीक्षण योग्य होने पर संबंधित कॉलम में टिप्पणी लिखते हुए पीले बटन का चयन किया जायेगा जिसका तात्पर्य है कि प्रश्नगत अभ्यर्थी के संबंध में पोर्टल में अपलोड किए अभिलेख या तो स्पष्ट नहीं हैं अथवा अपलोड किए अभिलेखों के अतिरिक्त परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। इस स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकृत नहीं होगा एवं आवेदन अगले चरण 'स्वीकृत आवेदनों की प्राथमिक मेरिट सूची' में प्रदर्शित भी होगा। (ग) सूचना के त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर संबंधित कॉलम में टिप्पणी लिखते हुए लाल बटन का चयन किया जायेगा। आवेदनों की जाँच में दक्षता के दृष्टिगत यह उल्लेखनीय है कि इस चरण में मात्र अर्हता के आधारों की जाँच की जाएगी तथा वरीयता एवं शैक्षित योग्यता के अंकों की जाँच अगले चरण में की जाएगी।

5.3 अस्वीकृत आवेदन अर्हता जाँच के उपरांत अनर्ह आवेदनकर्ताओं के आवेदन 'अस्वीकृत आवेदन' बटन पर क्लिक करके देखे जा सकते हैं। विज्ञापित पद के सापेक्ष अस्वीकृत आवेदनों की कुल सूची में चयन समिति के हस्ताक्षर प्राप्त कर हस्ताक्षरित प्रति अपलोड भी की जाएगी।

5.4 स्वीकृत आवेदनों की प्राथमिक मेरिट सूची समस्त अर्ह आवेदनकर्ताओं की ऑटोमेटेड मेरिट सूची इस चरण में प्रदर्शित की जायेगी। इस चरण में अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई वरीयता एवं शैक्षिक योग्यता की सूचना का मिलान उनके अभिलेखों से किया जायेगा तथा परीक्षणोपरांत तथा यथावश्यक संशोधन भी पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा। इस प्रकार सत्यापित कर ली गई सूचना के आधार पर अनंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यह उल्लेखनीय है कि ऑटोमेटेड मेरिट सूची की जाँच के उपरांत प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी के अभिलेख "जाँच योग्य"(पीली) श्रेणी में होने पर संबंधित अभ्यर्थी के अभिलेखों की भौतिक सत्यापन से चयन प्रभावित होने की संभावना के कारण अनंतिम चयन सूची प्रदर्शित नहीं होगी। ऐसी रिक्ति के सापेक्ष चयन प्रक्रिया परियोजना स्तर पर तब ही पूर्ण मानी जाएगी जब चयन समिति द्वारा वांछित परीक्षणोपरांत संबंधित सूचना अथवा अभिलेख को सही (Green बटन) अथवा त्रुटिपूर्ण (red बटन) की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। किंतु तृतीय एवं अनुवर्ती स्थान प्राप्त अभ्यर्थी के अभिलेख "जाँच योग्य"(पीली) श्रेणी में होने पर संबंधित अभ्यर्थी के अभिलेखों की भौतिक सत्यापन से चयन प्रभावित नहीं होने के कारण अनंतिम चयन सूची प्रदर्शित होगी।

5.5 अनंतिम सूची तैयार करना - आंगनवाड़ी केंद्र के रिक्त पद के सापेक्ष प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा की गई संभावित त्रुटियों के परीक्षण के बाद चयन समिति द्वारा (लाल/पीले/हरे बटन के चयन के माध्यम से) किए गए संशोधनों के आधार पर पोर्टल पर अनंतिम मेरिट सूची (तुलनात्मक चार्ट) तैयार होगी। ऐसे विज्ञापित पद, जहां प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए अभिलेख 'पूर्णतः सही' (हरी

श्रेणी) में हैं, के सापेक्ष प्राप्त अनंतिम सूची का प्रिंट प्राप्त कर चयन समिति द्वारा हस्ताक्षरित अनंतिम मेरिट सूची (तुलनात्मक चार्ट) को इसी पेज पर अपलोड किया जायेगा।

5.6 अभिलेखों का भौतिक सत्यापन - प्राथमिक मेरिट सूची में परीक्षणोपरांत प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड की गई सूचनाएँ यदि 'जाँच योग्य' (पीली श्रेणी) में हैं तो संबंधित अभ्यर्थी के अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अनारक्षित पदों के सापेक्ष पोर्टल में जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का विकल्प नहीं होने के दृष्टिगत ऐसे पदों पर प्रथम स्थान प्राप्त ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा आयु सीमा में छूट का दावा किया गया है, के प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्रों का भी भौतिक सत्यापन में परीक्षण किया जाएगा। भौतिक सत्यापन द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के अभिलेख सही पाये जाने पर उक्त अनंतिम सूची का प्रिंट प्राप्त कर चयन समिति द्वारा हस्ताक्षरित अनंतिम मेरिट सूची (तुलनात्मक चार्ट) को इसी पेज पर अपलोड किया जायेगा। भौतिक सत्यापन में संदेह का निष्पादन नहीं होने की स्थिति में संबंधित फॉर्म के संबंधित प्रमाण पत्र को त्रुटिपूर्ण कर टिप्पणी दर्ज करते हुए अनंतिम चयन सूची बनायी जायेगी। यह प्रक्रिया तब तक कि जायेगी जब तक प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी की सभी सूचनाएँ 'पूर्णतः सही' (हरी श्रेणी में) नहीं प्राप्त होती।

5.7 किसी एक राजस्व ग्राम में कोई एक अभ्यर्थी यदि एक से अधिक केंद्रों में अनंतिम सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो संबंधित अभ्यर्थी को उक्त सभी केंद्रों पर चयनित रखते हुए अभ्यर्थी की इच्छानुसार केंद्र पर योगदान हेतु नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा तथा योगदान के पश्चात अन्य केंद्रों पर अग्रेतर क्रमांक पर अंकित अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही की जायेगी।

6. अनंतिम सूची का प्रेषण - ऐसे रिक्त पद, जिनमें चयनित होने वाली अभ्यर्थियों के संबंध में पोर्टल पर चयन समिति द्वारा हस्ताक्षरित अनंतिम चयन सूची अपलोड कर दी गई है उन्हें जिला कार्यक्रम अधिकारी स्तर प्रेषित किया जाएगा। इस हेतु ऐसे विज्ञापित पद जिनके सापेक्ष अनंतिम चयन सूची प्राप्त हो गई है उन सभी की समेकित चयन सूची पर चयन समिति के हस्ताक्षर प्राप्त कर हस्ताक्षरित चयन सूची को भी अपलोड किया जायेगा एवं 'Forward to DPO' बटन पर क्लिक करके जिला कार्यक्रम अधिकारी के स्तर पर अग्रसारित कर दिया जाएगा। DPO स्तर पर उक्त सूचना के प्रेषण के साथ ही परियोजना स्तर पर प्रदर्शित उक्त आवेदन फ्रीज़ हो जाएँगे तथा उनके परीक्षण की प्रक्रिया में कोई भी संशोधन संभव नहीं होगा। यदि संशोधन आवश्यक हो तो DPO स्तर पर प्रेषित स्पष्टीकरण के क्रम में DPO स्तर से ही उक्त सूची को वापस किया जा सकेगा।

7. **चयन सूची का प्रकाशन** अनंतिम चयन सूची की प्रति संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालयों, खण्ड विकास कार्यालयों तथा उपजिलाधिकारी कार्यालयों में भी चस्पा की जाएगी। अनंतिम चयन के संबंध में www.wecduk.in पोर्टल पर ऑनलाइन आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु अधिकतम एक सप्ताह का समय दिया जायेगा।

8. **आपत्ति प्राप्ति एवं निस्तारण** - किसी भी अनंतिम चयन के संबंध में शिकायतकर्ता www.wecduk.in पोर्टल पर फ़ोन नंबर आधारित पंजीकरण के द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के संबंध में साक्ष्य भी अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। जिन शिकायतकर्ताओं द्वारा पूर्व में ही चयन हेतु आवेदन करने के लिए पंजीकरण किया गया है उन्हें पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है वे अपनी पंजीकृत आई०डी० में लॉग-इन कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। www.wecduk.in पोर्टल के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम यथा डाक, ईमेल अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जायेंगी। जिन रिक्तियों के सापेक्ष निर्धारित समयांतर्गत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, उनके सापेक्ष संबंधित ज़िला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश निर्गत कर दिए जाएँगे। किंतु आगामी रिक्तियों के सापेक्ष की जाने वाली चयन की कार्यवाही के प्रकरण पर नियुक्ति आदेश तभी जारी किए जाएँगे जब संबंधित मानदेय पद वास्तविक रूप से रिक्त हो चुका हो।

जिन रिक्तियों के सापेक्ष निर्धारित समयांतर्गत पोर्टल पर आपत्ति/आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनका विवरण अपीलिय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तथा अपीलिय समिति द्वारा लिये गये निर्णय को भी पोर्टल पर अपलोड करते हुए बिंदु संख्या 8 (प्रस्तर 1) के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।